न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 19/2005/223 आर टी ए

1. शंकरलाल पुत्र रामजस जाति बिश्नोई निवासी जोरावरपुरा तहसील हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. हरचन्द पुत्र रामजस जाति बिश्नोई निवासी जोरावरपुरा तहसील हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़।
2. सुनीलकुमार पुत्र नामूलम जाति बिश्नोई निवासी निरवाणा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. बिरमादेवी पुत्री भूपसिंह जाति बिश्नोई निवासी निरवाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.04 न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़ प्रकरण संख्या 94/2003 अनवानी सुनीलकुमार बनाम शंकरलाल

उपस्थित :–

श्री रामकुमार कस्वां अधिवक्ता अपीलाण्टा

श्री औमप्रकाश मोदी अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 व 3

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4

निर्णय दिनांकः–25.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 2 व 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए पेश कर अपीलांट के नाम से चक 15 आरपी, चक 4 एमडब्ल्यूएम ए व चक 5 एमडब्ल्यूएम ए मे संयुक्त खाता मे व चक 5 एमडब्ल्यूएम बी मे अपीलांट स्वयं के नाम से खातेदारी कृषि भूमि है। उक्त भूमि मे रेस्पो0 सं. 2 ने स्वयं को अपीलांट का पुत्र होने एवं रेस्पो0 सं. 3 ने अपीलांट की पत्नि होने का कथन करते हुए रेस्पो0 सं. 2 व 3 ने 2/3 हिस्सा की घोषणा हेतु अनुतोष चाहा। उक्त वाद मे सम्मन की तामील होने पर अपीलांट की तरफ से विचारण न्यायालय मे दिनांक 08.07.03 को अपीलांट के अभिभाषक उपस्थित आये व दिनांक 26.07.03 को अपीलांट के अभिभाषक ने पैरवी करने की हिदायत न होने का कथन कर दिया व अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करके दिनांक 01.10.04 को वाद आंशिक रूप से डिक्री करके वाद मे प्राथमिक डिक्री पारित कर दी जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत, बिना कोई जांच किये, विधि के आज्ञापक प्रावधानो के विरूद्ध अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस अपीलांट को प्राप्त होने पर अपीलांट ने अपना वकील मुर्कर करके दस्तावेज सौप दिये थे व वकालतनामा भी प्रस्तुत करवा दिया था। वकील द्वारा यह हिदायत दी गई थी कि जब भी आवश्यकता होगी सूचना दे दूंगा परन्तु अभिभाषक ने अपीलांट को कोई सूचना नही दी। रेस्पो0 सं. 2 सुनीलकुमार को अपीलांट का पुत्र होने का कथन करते हुए घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया परन्तु रेस्पो0 सं. 2 सुनीलकुमार अपीलांट का पुत्र नही है। इसलिए अपीलांट की भूमि मे सुनीलकुमार का कोई हित नही है। रेस्पो0 सं. 3 बिरमादेवी ने अपीलांट की पत्नि होने के आधार पर अपीलांअ की भूमि मे 1/3 हिस्सा की घोषणा चाही है व अधीनस्थ न्यायालय ने वाद आंशिक रूप से डिक्री करके वाद मे वर्णित भूमि चक 15 आरपी व चक 4 एमडब्ल्यूएम ए मे रेस्पो0 के हिस्सा की भूमि मे से रेस्पो0 सं. 3 को 1/3 हिस्सा की हकदार घोषित किया है जबकि रेस्पो0 सं. 3 का उक्त भूमि मे कोई हित नही है व किसी प्रकार की घोषणा करवाने की अधिकारिणी नही है। रेस्पो0 सं. 3 कभी भी बतौर पत्नि अपीलांट के साथ नही रही है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मे वर्णित समस्त भूमि अपीलांट की स्वयं पैदा करदा भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जद्दी जायदाद के संबंध मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया था व न ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है। बहस के अन्त मे अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि अपीलाधीन वाद मे अपीलांट ने अपना वकील नियुक्त किया हुआ था तथा वकील द्वारा यह हिदायत दी गई थी कि जब भी आवश्यकता होगी सूचना दे दूंगा। परन्तु अभिभाषक ने अपीलांट को कोई सूचना नही दी। अपीलांट को सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 22.02.05 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुआ तथा इसके पश्चात अपीलांट ने अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल हेतु दिनांक 23.02.05 को आवेदन प्रस्तुत किया व दिनांक 24.02.05 को नकल प्राप्त हुई। इसलिए अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी माफ की जाकर अपील अन्दर मियाद की जावें। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरबीजे 2017 पेज 43 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट द्वारा अपील के तथ्यो का विरोध प्रस्तुत करते हुए अपील को मियाद बाहर होना बताकर निरस्त करने का निवेदन किया तथा बहस में यह कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। इस विलम्ब को क्षमा दान करने हेतु जो कारण अपीलार्थी द्वारा बताये गये है उन कारणो के आधार पर विलम्ब को क्षमा नही किया जा सकता। अपीलांट ने कथन किया कि वकालतनामा पेश किया हुआ है एवं वकील की हिदायत पर की आवश्यकता होगी तब सूचना दे दूंगा। तथ्य गलत है। वकालतनामा पेश करने पर अगली पेशी प्रतिवादी के जवाब दावा के लिए निश्चित थी इसलिए प्रार्थी को पेशी पर आना आवश्यक था। जवाबदावा प्रार्थी के हस्ताक्षर से ही पेश किया जाना था। प्रार्थी को जवाबदावा के लिए कई अवसर दिये गये है। वकील से हिदायत पैरवी ना होना करवाकर अपने विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करवा ली ताकि एकपक्षीय निर्णय के विरूद्ध अपील कर सके। प्रार्थी को निर्णय की जानकारी निर्णय के दिन से ही है। मुताबिक कानून जब प्रतिवादी एक बार दावा मे उपस्थित आ जाता है तथा बाद मे अनुपस्थित हो जाता है और एकपक्षीय डिक्री पारित की जाती है तो ऐसे निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील पेश करने की मियाद निर्णय व डिक्री की तारीख से मानी जायेगी। जानकारी होने से मियाद नही मानी जायेगी तथा धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ अपीलांट को नही दिया जा सकता है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे एआईआर 1978 राज0 पेज 155, आरआरडी 1992 पेज 646, आरआरडी 1998 पेज 168, आरएलडब्ल्यू 2000(1) पेज 324, आरआरटी 2005 पेज 1350 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाकर अपील खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 2 व 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश कर अपीलांट के नाम से चक 15 आरपी, चक 4 एमडब्ल्यूएम ए व चक 5 एमडब्ल्यूएम ए मे संयुक्त खाता मे व चक 5 एमडब्ल्यूएम बी मे अपीलांट स्वयं के नाम से खातेदारी कृषि भूमि के संबंध मे घोषणा व खाता तकसीम का अनुतोष चाहा गया जिसमे अपीलांट द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित आये तथा दिनांक 26.07.03 को अपीलांट के अभिभाषक ने पैरवी करने की हिदायत न होने का कथन कर दिया व अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करके दिनांक 01.10.04 को वाद आंशिक रूप से डिक्री करके वाद मे प्राथमिक डिक्री पारित कर दी जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है। रेस्पो0 ने कथन किया है कि अपील मियाद बाहर है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व

डिक्री का ज्ञान निर्णय के दिन से ही रहा है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.04 को पारित किया गया जबकि उक्त निर्णय की अपील दिनांक 26.02.2005 को पेश की गई। चूंकि अपीलांट अपीलाधीन वाद मे जरिये अभिभाषक उपस्थित आया था तथा अभिभाषक द्वारा वकालतनामा पेश किया गया था तथा पत्रावली वास्ते जवाबदावा आगामी पेशी मे ली गई। इस प्रकार अपीलाधीन वाद की जानकारी अपीलांट को रही है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जानकारी न होने के संबंध मे प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम मे कोई औचित्यपूर्ण कारण अंकित नही किये है। जिसके आधार पर प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम स्वीकार किया जा सके और अपील अन्दर मियाद शुमार की जा सके। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाकर अपील अपीलांट मियाद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट मियाद बाहर होने बाहर होने प्रस्तुत होने के कारण खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.2004 यथावत रखा जाता है। निर्णय की एक प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा)आर..ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या – 19/2005/223 आर टी ए

1. शंकरलाल पुत्र रामजस जाति बिश्नोई निवासी जोरावरपुरा तहसील हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़।

——अपीलांटस

बनाम

1. हरचन्द पुत्र रामजस जाति बिश्नोई निवासी जोरावरपुरा तहसील हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़।
2. सुनीलकुमार पुत्र नामूलम जाति बिश्नोई निवासी निरवाणा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. बिरमादेवी पुत्री भूपसिंह जाति बिश्नोई निवासी निरवाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

——रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.04 न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़
प्रकरण संख्या 94/2003 अनवानी सुनीलकुमार बनाम शंकरलाल

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री रामकुमार कस्वां अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री औमप्रकाश मोदी अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 व 3 एवं श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट मियाद बाहर होने बाहर होने प्रस्तुत होने के कारण खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.2004 यथावत रखा जाता है। निर्णय की एक प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 25.01.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ